

आम सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

2. भानु देवी पति हराधन दिगार, निवासी ग्राम: पिछरी, थाना: पैटरवार, जिला: बोकारो (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1527 E दिनांक 10.6.2015 के तहत ग्राम: पिछरी, थाना सं: 49, (रैयती) खाता सं. 33 के अधीन प्लॉट सं° 2003 एवं 2398, दावित रकवा क्रमश 0.165 एकड़ एवं 0.23 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गई है।

ऊपर उल्लेखित खाता सं. 33 के अधीन प्लॉट सं° 2003 एवं 2398, दावित रकवा क्रमश 0.165 एकड़ एवं 0.23 एकड़ है एवं उक्त भूमि का खतियानी रैयत गोविन्द तेली वगैरह है

क. उक्त भूमि केवाला स. 730/717 दिनांक 02.4.2004 के माध्यम से भानु देवी पति हराधन दिगार द्वारा मोसमात मानती देवी पति स्व० परमेश्वर साव से खरीदगी की गयी है।


ख. उक्त भूमि केवाला स. 3440/3910 दिनांक 20.3.2011 एवं भ्रम संसोधन दस्तावेज संख्या 8572/9926 दिनांक 06.9.2011 के माध्यम से भानु देवी पति हराधन दिगार द्वारा श्री प्रयाग साव पिता काशी साव से खरीदगी की गयी है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से 10(दस) दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में विभाग अध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त 10(दस) दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: पिछरी, थाना सं: 49, खाता सं. 33 के अधीन प्लॉट सं. 2003 एवं 2398, दावित रकवा क्रमश 0.165 एकड़ एवं 0.23 एकड़ भूमि कुल दावित रकवा 0.395 एकड़, रैयती भूमि, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है एवं भानु देवी पति हराधन दिगार के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर किसी को भी, कोई भी प्रकार का, किसी भी विंदु पर, कोई आपत्ति नहीं है।

विभागअध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व),

सी.सी.एल, राँची


R.I.

